न्यायालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

वाद संख्या- 136/2024 (भा0ना0सु0सं0 की धारा 163)

दरोगी सिंह ---------- प्रथम पक्ष

बनाम्

रोहन सिंह वगैरह ---------- द्वितीय पक्ष

आदेश

01-11-24

ओ0पी0 प्रभारी, भरकटठा के जाँच प्रतिवेदन (02/2024 दिनांक 16.08.2024) से यह प्रतीत होता है कि निम्नलिखित विवरण वाले भूमि पर विवाद के कारण लोक परिशांति भंग होने की प्रबल संभावना है :-

मौजा- डोमनसिंघा, खाता नं0- 21/26, प्लॉट- 185/256, रकबा- 1.3 एकड़, चौहद्दी उ0- जगदीश सिंह का टांड, द0- प्रथम पक्ष का निज जमीन, पू0- परती कदीम जमीन, प0- मेघु सिंह वगैरह का जमीन

अत: संतुष्ट होकर दिनांक 03.09.2024 को उक्त विवादित जमीन पर निषेधाज्ञा प्रवृत किया तथा उभय पक्ष को उक्त विवादग्रस्त जमीन पर जाने अथवा कोई कार्य करने से प्रतिबंधित किया गया। उभय पक्ष को नोटिस निर्गत कर कारण पृच्छा भी की गई। उभय पक्ष अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित हुए तथा कारण पृच्छा दाखिल किए।

प्रथम पक्ष के अनुसार उक्त भूमि उनके पूर्वज जोवराज सिंह पिता चुरामन सिंह को तत्कालीन जायदाद मालिक बाबू महेश्वरी नारायण देव मालिक इस्टेट धनवार के तरफ से मैनेजर वार्डस इनकम्बंड इस्टेट हजारीबाग द्वारा पट्टा से हासिल है तथा उक्त जमीन की जमाबन्दी अंचल कार्यालय बिरनी के जमाबन्दी पंजी II के भाग सं0- 01, पृष्ठ सं0- 135 पर दर्ज है तथा लगातार लगान रसीद निर्गत होते आ रहा है। द्वितीय पक्ष जबरन उक्त जमीन पर जोतकोड़ कर कब्जा करना चाह रहे हैं। प्रथम पक्ष अपने दावे के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं करा पाए।

वहीं दूसरी ओर द्वितीय पक्ष का कहना है कि प्रस्तुत विवादित भूमि गैरमजरूआ खाते से संबंधित है तथा उन्हें भूतपूर्व जमींदार बाबू महेश्वरी प्रसाद सिंह बनाम धोकल सिंह वल्द मेघो सिंह के नाम बजरिए हुकुमनामा हासिल है। उक्त भूमि की जमाबंदी पंजी II के पृष्ठ सं0- 130 भाग सं0- 01 में रैयत धोकल सिंह पिता मेघो सिंह के नाम से दर्ज है। प्रथम पक्ष के द्वारा झूठा

आरोप लगाकर द्वितीय पक्ष का जमीन हड़पने का प्रयास किया जा रहा है। द्वितीय पक्ष दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित कागजात उपलब्ध कराते हैं:-

(1) हुकुमनामा की छायाप्रति;
(2) वर्ष 83-84 का एक लगान रसीद;
(3) ऑनलाईन पंजी II की छायाप्रति;
(4) सर्वे खतियान खाता नं0 03 की छायाप्रति;
(5) सर्वे नक्शा विवादित प्लॉट की छायाप्रति;

निष्कर्ष :-

उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत कारण पृच्छा तथा द्वितीय पक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि उभय पक्ष उक्त गैरमजरूआ जमीन पर सादा हुकुमनामा के जरिए अपना-अपना दावा करते हैं। प्रथम पक्ष के द्वारा कोई भी राजस्व कागजात उपलब्ध नहीं कराया गया है। उक्त भूमि के विवेचन हेतु अंचल अधिकारी बिरनी का प्रतिवेदन अति आवश्यक है।

प्रस्तुत वाद में अग्रेतर विवेचन हेतु दस्तावेजी / साक्ष्य, गवाह तथा अन्य प्रमाण की आवश्यकता है। भा0ना0सु0सं0 की धारा 163 के तहत सीमित समयावधि में उक्त वाद का विवेचन संभव नहीं है अतः प्रस्तुत वाद को सुक्ष्म विश्लेषण तथा तार्किक निर्णय हेतु भा0ना0सु0सं0 की धारा 164 में परिणत किया जाता है। उक्त आदेश के साथ ही भा0ना0सु0सं0 की धारा 163 के तहत वाद की कार्यवाई समाप्त घोषित की जाती है।

उभय पक्ष को भा0ना0सु0सं0 की धारा 164 के तहत नोटिस निर्गत करें तथा वाद को सुनवाई हेतु ...28.-1-.....25.. को सूचीबद्ध करें।

लेखापित एवं संशोधित

01-11-24

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया

01-11-24

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया

Digitally signed by SANTOSH GUPTA
Date: 2025.01.09 12:44:08 +05:30
Location: 192.168.1.2